| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | विभाग का नाम | : | जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरनगर। |
| 2. | सूचना अधिकारी का नाम | : | डा0 विनोद कुमार |
| 3. | दूरभाष नम्बर | : | 0131–2622707 |
| 4. | फैक्स नम्बर | : | 0131–2622707 |
| 5. | विभागाध्यक्ष का नाम | : | डा0 विनोद कुमार |
| 6. | पदनाम | : | महाप्रबन्धक |
| 7. | मोबाइल नम्बर | : | 9358915709 |
| 8. | विभाग का ई–मेल | : | muzaffarnagardic2007@gmail.com |
| 9. | विभाग की वेबसाइट | : | |
| 10. | मुख्यालय का पता | : | आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर। |

# जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरनगर

| क्र0 सं0 | पदनाम | कार्य |
|---|---|---|
| 1 | महाप्रबन्धक | कार्यालयाध्यक्ष, प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षण कार्य |
| 2 | प्रबन्धक (मार्किटिंग) | मार्किट सर्वे, औद्योगिक विकास के आंकड़े एवं सूचनाओं सम्बन्धी कार्य |
| 3 | परियोजना प्रबन्धक | औद्योगिक प्रोजेक्ट तैयार कराना एवं कच्चे माल के सम्बन्ध में तकनीकी परामर्श |
| 4 | प्रबन्धक (ऋण) | ऋण योजनाओं का संचालन एवं सरकारी देयों की वसूली सम्बन्धी कार्य |
| 5 | प्रबन्धक (तकनीकी) | औद्योगिक इकाईयों के प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में तकनीकी जानकारी देना |
| 6 | सहायक प्रबन्धक | उद्यमियों को इकाई स्थापित करने में मदद करना एवं औद्योगिक इकाईयों के आंकड़े एकत्र करना |
| 7 | सांख्यकीय सहायक | औद्योगिक इकाईयों से आंकड़े प्राप्त करना एवं सम्प्रेषण |

उद्यमियों को औद्योगिक इकाई को प्रारम्भ करने हेतु निम्न योजनाओं का संचालन जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जा रहा हैः–

**1. एकल मेज व्यवस्था :– जनवरी, 1999 से लागू**

इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयां लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण–पत्र/अन्य कार्यों हेतु अपने आवेदन–पत्र जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक शुक्रवार को सभी विभागों में नोडल अधिकारी जिला उद्योग केन्द्र में उपस्थित होकर अपने से सम्बन्धित आवेदन–पत्रों का परीक्षण कर आवेदन–पत्रों का निस्तारण करते हैं।

**2. जिला उद्योग बन्धु समिति :–**

उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में प्रत्येक माह जिला उद्योग बन्धु समिति की बैठक होती है, जिसमें उद्यमियों की समस्याओं/सुझावों का निराकरण किया जाता है। यह बैठक प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार या जिलाधिकारी/अध्यक्ष की सहमति के अनुसार विकास भवन सभाकक्ष में आयोजित की जाती है।

**3. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम योजनाः–**

प्रधान मन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार के सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को विलय कर वर्ष 2008–09 से क्रियान्वयन किया गया है, जबकि खादी ग्राम उद्योग आयोग और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही संचालित की जा रही है।

परियोजना का अधिकतम आकारः–

विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) क्षेत्र के लिए रू0 25लाख और सेवा क्षेत्र के लिए रू0 10 लाख।

लाभार्थी का अंशदानः–

1– सामान्य श्रेणी हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत।

2– विशेष श्रेणी हेतु (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछडा वर्ग,अल्पसंख्यक महिला, पूर्व सैनिक,शारिक रूप से विकलांग) के लिये परियोजना लागत का 5 प्रतिशत

सब्सिडी की दर परियोजना लागत में :–

सामान्य श्रेणी हेतु – शहरी क्षेत्र में 15प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्र में 25प्रतिशत।

विशेष श्रेणी हेतु – शहरी क्षेत्र में 25प्रतिशत,। ग्रामीण क्षेत्र में 35प्रतिशत

लाभार्थी के लिये पात्रता की शर्तेः–

1– 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति।

2– विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) क्षेत्र में रू0 10 लाख और सेवा क्षेत्र में रू0 5लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाकओं की स्थापना हेतु लाभार्थी को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

3– वर्तमान इकाईयों(प्रधानमंत्री रोजगार योजना/ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत) तथा वे इकाइयां जे भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सब्सिडी का लाभ उठा चुकी हैं, पात्र नही है।

अपेक्षित दस्तावेज(कागजात)

परियोजना, शैक्षिक योग्यता प्रमाण– पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण–पत्र,निवासी प्रमाण–पत्र जाति प्रमाण –पत्र ,(जहां लागू हो) उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आदि ।

### 4. वर्तमान में जनपद में औद्योगिक आस्थानों/औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति :–

| क्र0 सं0 | औद्योगिक आस्थान/ औद्योगिक क्षेत्र का नाम | बिजली की स्थिति | कुल क्षेत्र (एकड़ में) | शेड/ प्लॉट | आवंटित शेड/ प्लॉट्स | स्थापित इकाईयां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इण्डस्ट्रीयल एस्टेट सूजडु, मुजफ्फरनगर | 132 के0वी0 सब स्टेशन, सूजडु | 21.19 | 59 | 59 | 38 |
| 2 | इण्डस्ट्रीयल एस्टेट खेड़ीकरमू, पानीपत रोड, शामली | 33 के0वी0 सब स्टेशन, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट शामली | 17.19 | 52 | 52 | 45 |
| 3 | इण्डस्ट्रीयल एरिया, मेरठ रोड, बेगराजपुर | 132 के0वी0 सब स्टेशन, नरा | 73.54 | 200 | 164 | 65 |
| 4 | हरिजन इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर | 132 के0वी0 सब स्टेशन, सूजडु | 12.65 | 27 | 27 | 19 |

### 5. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र खेड़ीकरमू में विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र का प्रस्ताव :–

| क्र0 सं0 | क्षेत्र का नाम | इकाईयों का प्रकार | बिजली की उपलब्धता | इकाईयों की समस्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रुड़की रोड, मुजफ्फरनगर | स्टील, दवाईयां, रिफैक्ट्रीज, प्लास्टिक पाईप, कृषि यंत्र आदि | बिजली उपलब्ध है | रेडीमेड वस्त्र, इम्प्लीमेंट्स, ऑटो पार्ट्स, दवाईयां |
| 2 | जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर | पेपर एंड पल्प, कैल्शियन कार्बोनेट, फर्टीलाइजर, सीमेंट, पेस्टीसाइड्स, कोल्ड स्टोर, दवाईयां, कार्बन | बिजली उपलब्ध है | कागज एवं कागज से बने उत्पाद, कैमिकल्स, एसिटिक एसिड, एथल एल्कोहॉल, बिजली उपकरण, ऑटो पार्ट्स, कार्बन–डाई–ऑक्साईड आदि |
| 3 | भोपा रोड, मुजफ्फरनगर | पेपर एंड पल्प, पी0वी0सी0 पॉवर आई0एस0 पाईप, | बिजली उपलब्ध है | कागज एवं कागज से बने उत्पाद, इंजीनियरिंग वर्क्स, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | एल0पी0जी0 सिलेंडर, सीमेंट, फर्टीलाइजर, कोल्ड स्टोरेज, इनसेक्ट्रीसाइड्स, पेस्टीसाइड्स, मिनरल वॉटर आदि | | यंत्र, मिनरल वॉटर, दवाईयां, फर्टीलाइजर, एल0पी0जी0 सिलेंडर, पी0वी0सी0आदि |
| 4 | मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर | रिफेक्ट्रीज, रोलिंग मिल, इंडेक्शन फर्नेनेस, आईजन टायर एंड ट्यूब, कन्टेनर्स, एच0डी0पी0ई0 बैग, कोयर फोर्म, लेक्टम फोम, दवाईयां, इनसेक्टीसाइड एंड पेस्टीसाइड्स आदि | बिजली उपलब्ध है | रोलिंग मिल्स, रिफरेक्ट्रीज, फ्लोर नट एंड बोल्ट, वेल्डिंग, इलैक्ट्रोड्स, कैमिकल फर्टीलाइजर, खाद्य पदार्थ इण्डस्ट्रीज आदि |
| 5 | सहारनपुर रोड, शामली | पेपर एंड पल्स, कोल्ड स्टोरेज, रिम और एक्सेल आदि | बिजली उपलब्ध है | कागज एवं कागज उत्पाद मिल, फ्लोर मिल, कॉपर, सुल्फर रोल आदि |
| 6 | दिल्ली रोड, शामली | यूटीन्सलस, रिम और एक्सेल, कृषि औजार, फाउंड्री आदि | बिजली उपलब्ध है | एल्यूमिनियम एवं स्टील रिम और एक्सल्ड, एग्रो बेस इण्डस्ट्रीज, फाउंड्री |
| 7 | कैराना रोड, शामली | इंडक्शन फर्नेस, रोलिंग मिल, फाउंड्री आदि | बिजली उपलब्ध है | वुडन स्पोन्स, रोलिंग मिल, फाउंड्री, पी0वी0सी0 आदि |

### 6. मध्यम एवं वृहद उद्योगों की स्थिति :–

जनपद में 68 इकाईयां स्थापित हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है–

| क्र0 सं0 | इकाईयों के प्रकार | इकाईयों की संख्या | रोजगार | लागत (करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चीनी मिल | 11 | 17560 | 1024.30 |
| 2 | पेपर मिल | 31 | 13950 | 156.40 |
| 3 | इंडक्शन फर्नेस | 14 | 724 | 31.30 |
| 4 | रोलिंग मिल्स | 07 | 682 | 38.70 |
| 5 | डिस्टलरी | 02 | 241 | 15.23 |
| 6 | कैल्शियन कार्बोनेट | 01 | 514 | 16.43 |
| 7 | ऑक्सीजन गैस | 01 | 22 | 3.15 |
| 8 | इंसेक्टीसाइड्स और पेस्टीसाइड्स | 01 | 42 | 4.25 |
| | योग | 68 | 31735 | 1089.76 |

### 7. चीनी मिलों के नाम :–

| क्र0सं0 | चीनी मिलों के नाम | क्षमता (मैट्रिक टन/दिन में) |
|---|---|---|
| 1 | मै0 त्रिवेणी इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज लि0 (शुगर यनिर्ट), खतौली | 12500 मै0टन |
| 2 | मै0 दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, मोरना | 5000 मै0टन |
| 3 | मै0 टिकोला शुगर मिल्स लि0, टिकोला, (रामराज) | 2500 मै0टन |
| 4 | मै0 तितावी शुगर काम्पलैक्स, तितावी | 5000 मै0टन |
| 5 | मै0 उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, रोहानाकला। | 1250 मै0टन |
| 6 | मै0 डी0एस0एम0 शुगर इन्डस्ट्रीज, मंसूरपुर | 5000 मै0टन |
| 7 | मै0 अपर दोआब शुगर मिल्स लि0, शामली | 5000 मै0टन |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | मै0 मोनेट इन्डस्ट्रीज लि0, गांव शामली–शामला, ब्लॉक ऊन | 2500 मै0टन |
| 9 | मै0 बजाज हिन्दुस्थान लि0, भैंसानी, बुढ़ाना | 9000 मै0टन |
| 10 | मै0 बजाज हिन्दुस्थान लि0, थानाभवन | 9000 मै0टन |
| 11 | मै0 उत्तम शुगर मिल्स लि0, खाईखेड़ी | 5000 मै0टन |

**8. लघु स्तरीय औद्योगिक इकाईयों की स्थिति :–**

| क्र0 सं0 | एन0आई0सी0 ग्रुप संख्या | इकाईयों का नाम | एस0एस0आई0 इकाईयों की संख्या | लागत (करोड़ में) | रोजगार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20–21 | खाद्य सामग्री | 463 | 15.33 | 3534 |
| 2 | 22 | बेवरेजेज, तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद | 12 | 7.30 | 60 |
| 3 | 23 | कॉटन टैक्सटाईल्स | 22 | 7.63 | 151 |
| 4 | 24 | ऊनी, रेशमी एंड सिंथेटिक फाइबर टैक्सटाईल | 02 | 0.64 | 24 |
| 5 | 25 | ज्यूर, हैम्प एंड मेस्ता टैक्सटाईल्स | – | – | – |
| 6 | 26 | हौजरी एंड गारमेंट्स | 1049 | 32.56 | 4552 |
| 7 | 27 | लकड़ी के उत्पाद | 677 | 41.02 | 4308 |
| 8 | 28 | कागज उत्पाद एवं छपाई | 229 | 80.91 | 1667 |
| 9 | 29 | चमड़ा उत्पाद | 852 | 20.96 | 4800 |
| 10 | 30 | रबड़ एवं प्लास्टिक उत्पाद | 142 | 9.97 | 936 |
| 11 | 31 | कैमिकल एवं कैमिकल उत्पाद | 65 | 34.88 | 433 |
| 12 | 32 | नॉन–मैटेलिक मिनरल उत्पाद | 76 | 32.24 | 428 |
| 13 | 33 | बेसिक मैटल इंडस्ट्रीज | 51 | 43.22 | 312 |
| 14 | 34 | मैटल उत्पाद | 28 | 17.67 | 258 |
| 15 | 35 | मशीनरी एवं पार्ट्स (एक्सेप्ट इलैक्ट्रिकल) | 321 | 45.26 | 1781 |
| 16 | 36 | इलैक्ट्रिकल मशीनरी एवं अपार्ट्स | 35 | 11.30 | 306 |
| 17 | 37 | ट्रांसपोर्ट एक्यूपमेंट एवं पार्ट्स | 09 | 7.15 | 46 |
| 18 | 38 | मिसलेनियस मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज | 1728 | 96.87 | 8722 |
| 19 | 96–97 | रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग इंडस्ट्रीज | 4250 | 111.12 | 14907 |
| | | योग | 10001 | 616.03 | 47225 |

**9. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम–2006 :–**

इस अधिनियम के अनुसार जो भी उद्यमी अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करना चाहता है, वह जिला उद्योग केन्द्र में अपना ज्ञापन प्रस्तुत करेगा, जिसकी पावती प्राप्त करेगा। अधिनियम के अनुसार जिस इकाई में यंत्र एवं संयंत्र में पूंजी निवेश रु0 25 लाख तक होगा, उसको सूक्ष्म तथा जिस इकाई में यंत्र एवं संयंत्र में पूंजी निवेश रु0 25 लाख से 5 करोड़ तक उसको लघु तथा 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाली इकाई को मध्यम उद्यम घोषित किया गया है।

**10. तकनीकी उन्नयन योजना :–.**

उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन (टैक्नोलॉजी अपग्रेडेशन) योजना एवं नियमावली :–

उद्देश्य :– आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के नये वातावरण और उदारीकरण के सम्पूर्ण प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा क्षमता

को विकसित करने के उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति घोषित की गयी है तथा उद्योग मैत्री वातावरण पैदा कर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिये उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन किया गया है। प्रतिस्पर्धा के इस वातावरण में सूक्ष्य एवं लघु औद्योगिक इकाईयों के जीवित रहने और उनके उत्तरोत्तर विकास के लिये आवश्यक है कि अच्छी गुणवत्ता वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वस्तुएं बनायी जायें और छोटे उत्पादक उत्तरोत्तर अपनी गुणवत्ता में सुधार करें तथा ऐसी प्रक्रिया से उत्पादन करें, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अच्छी तकनीक वाली हो तथा उनकी उत्पादन लागत न्यूनतम हो सके।

अतः सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की उपरोक्त आवश्यकताओं को देखते हुए उनकी पूर्ति हेतु इन उद्योगों की तकनीकी उन्नयन योजना के क्रियान्वयन हेतु यह नियमावली बनायी गयी है, जो वर्तमान ग्लोबल प्रतियोगिता हेतु सूक्ष्यम एवं लघु उद्योगों का आधुनिकतम तकनीकी के आयात/क्रय एवं गुणवत्ता में वृद्धि तथा उत्पादकता में सुधार की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। इस नियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधायें दी जायेंगी –

(क) सूक्ष्य एवं लघु औद्योगिक इकाईयों के तकनीक की खरीद और आयात, जिसके द्वारा गुणवत्ता में सुधार होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी, को मान्यता प्राप्त/सक्षम संस्थानों सरकारी संस्थाओं और शोध केन्द्रों से प्राप्त करने में व्यय की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा, जिसकी अधिकतम सीमा रु0 2.50 लाख होगी।

(ख) सूक्षम एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार हेतु वांछित अतिरिक्त मशीनों आदि की व्यवस्था हेतु 50 प्रतिशत पूंजी उपादान देय होगा, जिसकी अधिकतम सीमा रु0 2.00 लाख होगी।

(ग) उपरोक्त (प्रस्तर–ख में अंकित) क्रय की गयी मशीनों और उपकरणों पर वित्तीय निगम या बैंकों से ऋण लिये जाने की दशा में वित्तीय संस्थाओं को देय ब्याज की आंशिक प्रतिपूर्ति करते हुए उपादान देय होगा। ब्याज उपादान 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से दिया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम सीमा रु0 50,000.00 होगी तथा यह सुविधा 5 वर्ष तक दी जायेगी।

(घ) आई0एस0आई0 या आई0एस0ओ0 श्रेणी के मानकीकरण प्राप्त किये जाने की दशा में आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत उपादान के रूप में देय होगा, जिसकी अधिकतम सीमा रु0 2.00 लाख होगी।

(ड.) उत्पादकता कौशल/बाजार तथा तकनीकी के अध्ययन और मान्यता प्राप्त संस्थाओं से परामर्श प्राप्त किये जाने पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को इस व्यय की 90 प्रतिशत राशि अधिकतम सीमा रु0 50,000.00 तक अनुदान देय होगा।

उपरोक्त सुविधायें निम्न शर्तों के अधीन उन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, जिनके द्वारा ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अधिनियम, 2006'' के अधीन ज्ञापन (इण्टरपेन्योर्स मेमोरेण्डम) दाखिल किये गये हों, को प्रदान की जाये।

(1) योजनान्तर्गत प्राप्त सुविधा/अनुदान प्राप्त करने के 5 वर्ष की अवधि के अन्दर यदि इकाई बन्द होती है, तो योजना के अन्तर्गत समस्त प्रदत्त सुविधा/अनुदान इकाई को वापिस करने होंगे। इसकी वसूली राजस्व नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।

(2) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की निर्धारित सीमा तक पूंजी निवेश किये जाने वाली इकाईयों को इस योजना के तहत सुविधायें अनुमन्य होंगी।

(3) योजनान्तर्गत देश के अन्दर तथा देश के बाहर से आयातीत आधुनिकतम विकसित तकनीक प्राप्त करने वाली सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को सुविधायें/अनुदान अनुमन्य करायी जायेगी।

(4) बाजार तथा तकनीकी एवं उत्पादकता कौशल के अध्ययन हेतु भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से परामर्श प्राप्त किये जाने पर ही उपादान देय होगा तथा इसका पैनल शासन द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(5) प्रस्तावित नियमावली के प्रस्तर क, उप प्रस्तर ख एवं घ में की गयी व्यवस्था से एक ही मद में दोहरा लाभ नहीं मिलेगा।

पत्रांकः /जि0उ0के0/मु0नगर/एन0आई0सी0/2011–2012

कार्यालय, महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
दिनांकः मुजफ्फरनगर, मई, 2011